राजस्थान में हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मध्य विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार: एक अध्ययन

***नीलम व्यास**
****डॉ. विमला कुमारी वर्मा**

सारांश

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भारत सहित विश्व के अनेक देशों में एक गंभीर सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या बनी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अनेक विधिक प्रावधान और संस्थागत तंत्र उपलब्ध होने के बावजूद हिंसा की अनेक घटनाएँ औपचारिक रूप से रिपोर्ट नहीं की जातीं। ऐसी स्थिति में महिलाओं की विधिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह उन्हें अपने अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों तथा न्याय प्राप्ति की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य हिंसा का सामना कर रही महिलाओं में विधिक जागरूकता, विधिक संरक्षण की धारणा तथा रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन हेतु राजस्थान राज्य की 400 महिलाओं से प्राथमिक आँकड़े एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए क्रोनबाख अल्फा तथा पियर्सन सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य तथा विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य उच्च एवं सांख्यिकीय रूप से सार्थक संबंध विद्यमान है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिलाओं में विधिक जागरूकता का विस्तार हिंसा की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने तथा न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कुंजी शब्द: विधिक जागरूकता, रिपोर्टिंग व्यवहार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विधिक संरक्षण, महिला अधिकार, राजस्थान।

1. प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो महिलाओं के जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान तथा मानवाधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, साइबर हिंसा तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी घटनाएँ आज भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2023) के अनुसार विश्व की लगभग एक-तिहाई महिलाएँ अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव करती हैं। भारत में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2024)।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम तथा अन्य अनेक कानूनी प्रावधान लागू हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन तथा वन स्टॉप सेंटर जैसी संस्थाएँ भी महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं। इसके बावजूद अनेक महिलाएँ हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट नहीं करतीं। इसका एक प्रमुख कारण अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता तंत्र के प्रति सीमित जागरूकता है (मेहता, 2020; चौधरी, 2024)।

विधिक जागरूकता महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करती है। जब महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तब वे हिंसा एवं भेदभाव के विरुद्ध अधिक प्रभावी ढंग से आवाज उठाने में सक्षम होती हैं (कबीर, 2019)। इसी संदर्भ में वर्तमान अध्ययन राजस्थान की महिलाओं के मध्य विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य संबंध का विश्लेषण करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिलाओं में विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
2. महिलाओं में विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

H_{01}: विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

H_{11}: विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सार्थक संबंध है।

H_{02}: विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

H_{12}: विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य सार्थक संबंध है।

2. साहित्य समीक्षा

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में विधिक जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कबीर (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन महिलाओं को अपने अधिकारों की पर्याप्त जानकारी होती है, वे सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर अधिक सशक्त होती हैं। हाइज़ एवं कोट्साडम (2019) के अनुसार विधिक जागरूकता महिलाओं में हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग की संभावना को बढ़ाती है तथा न्याय तक पहुँच को मजबूत बनाती है।

जेजीभॉय, संथ्या एवं आचार्य (2019) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अध्ययन करते हुए पाया कि जागरूकता की कमी महिलाओं को उपलब्ध कानूनी सहायता से वंचित कर देती है। भालोत्रा, ब्रूले एवं रॉय (2021) ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा एवं विधिक जानकारी महिलाओं की निर्णय क्षमता तथा आत्मविश्वास को सुदृढ़ करती है। चटर्जी, देसाई एवं वन्नेमन (2023) ने पाया कि विधिक जागरूकता एवं संस्थागत समर्थन महिलाओं की न्यायिक संस्थाओं तक पहुँच

को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. शोध पद्धति

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े राजस्थान राज्य की 400 महिलाओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए। प्रश्नावली में विधिक जागरूकता, विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता तथा रिपोर्टिंग व्यवहार से संबंधित कथनों को पाँच-बिंदु लिकर्ट मापक्रम पर मापा गया। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया।

तालिका 1 : विश्वसनीयता परीक्षण

Cronbach's Alpha	कथनों की संख्या
0.966	30

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समग्र क्रोनबाख अल्फा मान 0.966 प्राप्त हुआ, जो उत्कृष्ट आंतरिक संगति एवं विश्वसनीयता को दर्शाता है।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

परिकल्पना 1

H_{01}: विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

तालिका 2 : विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सहसंबंध

चर	विधिक जागरूकता	विधिक संरक्षण
विधिक जागरूकता	1	.842**
विधिक संरक्षण	.842**	1

N = 400, p = 0.000

तालिका 2 से स्पष्ट है कि विधिक जागरूकता एवं विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध (r = 0.842) पाया गया। p-मान 0.05 से कम होने के कारण यह संबंध सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{01}) अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H_{11}) स्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 2

H_{02}: विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

तालिका 3 : विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य सहसंबंध

चर	विधिक जागरूकता	रिपोर्टिंग व्यवहार
विधिक जागरूकता	1	.869**
रिपोर्टिंग व्यवहार	.869**	1

N = 400, p = 0.000

तालिका 3 से स्पष्ट है कि विधिक जागरूकता एवं रिपोर्टिंग व्यवहार के मध्य अत्यधिक उच्च धनात्मक सहसंबंध (r = 0.869) पाया गया। p-मान 0.05 से कम होने के कारण यह संबंध सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{02}) अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H_{12}) स्वीकार की जाती है।

तालिका 4 : परिकल्पना परीक्षण का सारांश

परिकल्पना	r मान	p मान	निर्णय
H_{01}	0.842	0.000	अस्वीकृत
H_{02}	0.869	0.000	अस्वीकृत

5. चर्चा एवं निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि विधिक जागरूकता महिलाओं के विधिक संरक्षण के प्रति विश्वास तथा रिपोर्टिंग व्यवहार दोनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जिन महिलाओं को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी होती है, वे हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने तथा न्यायिक संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। यह निष्कर्ष कबीर (2019), हाइज़ एवं कोट्साडम (2019), भालोत्रा, ब्रूले एवं रॉय (2021) तथा चटर्जी, देसाई एवं वन्नेमन (2023) के अध्ययनों का समर्थन करता है।

अध्ययन यह इंगित करता है कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की महिलाओं तक कानूनी जानकारी पहुँचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महिला सहायता संस्थाओं को मिलकर महिलाओं की विधिक साक्षरता बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। इससे महिलाओं की न्याय तक पहुँच, रिपोर्टिंग व्यवहार तथा विधिक संरक्षण के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम को बल मिलेगा।

***शोधार्थी**
****सहायक आचार्य**
यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी
जयपुर, राजस्थान

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, एम. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध अपराध और न्यायिक प्रतिक्रिया.* भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
2. भालोत्रा, एस., ब्रूले, आर., एवं रॉय, एस. (2021). महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं घरेलू हिंसा का संबंध। *वर्ल्ड डेवलपमेंट, 146*, 105600।

3. भारत सरकार. (2005). *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
4. भारत सरकार. (2012). *यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
5. भारत सरकार. (2013). *कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
6. चटर्जी, पी., देसाई, एस., एवं वन्नेमन, आर. (2023). भारत में लैंगिक असमानता एवं घरेलू हिंसा का विश्लेषण। *डेमोग्राफी इंडिया, 52*(1), 45–62।
7. चौधरी, एस. (2024). *न्याय तक महिलाओं की पहुँच: चुनौतियाँ और समाधान*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स इंडिया।
8. हाइज़, एल. (1998). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक एकीकृत पारिस्थितिक ढाँचा। *वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, 4*(3), 262–290।
9. हाइज़, एल., एवं कोट्साडम, ए. (2019). लैंगिक असमानता एवं साथी हिंसा का अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण। *सोशल साइंस एंड मेडिसिन, 234*, 112360।
10. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन. (2022). *कार्यस्थल पर हिंसा एवं उत्पीड़न का वैश्विक अध्ययन*. जिनेवा: आईएलओ।
11. जेजीभॉय, एस. जे., संथ्या, के. जी., एवं आचार्य, आर. (2019). ग्रामीण भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: प्रमाण एवं नीतिगत निहितार्थ। *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54*(17), 45–53।
12. कबीर, एन. (2019). महिलाओं का सशक्तिकरण एवं हिंसा में कमी: परिवर्तन के मार्गों की समझ। *फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स, 25*(2), 1–23।
13. कपूर, एस. (2022). भारत में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता एवं घरेलू हिंसा। *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 83*(2), 233–250।
14. मेहता, एस. (2020). *लैंगिक न्याय और महिला अधिकार: एक विधिक अध्ययन*. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।

15. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2024). *मिशन शक्ति: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: भारत सरकार।
16. मिश्रा, डी. (2024). *लैंगिक हिंसा और संस्थागत उत्तरदायित्व.* इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
17. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2024). *महिला अधिकार एवं संरक्षण पर वार्षिक प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग।
18. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2023). *भारत में अपराध 2022*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
19. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2024). *भारत में अपराध 2023*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
20. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण. (2023). *महिलाओं हेतु विधिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम: वार्षिक प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: NALSA।
21. सार्डिन्हा, एल., माह्यू-गिरॉक्स, एम., स्टॉकल, एच., मेयर, एस. आर., एवं गार्सिया-मोरेनो, सी. (2022). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की वैश्विक व्यापकता। *द लैंसेट, 399*(10327), 803–813।
22. संयुक्त राष्ट्र. (1993). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति पर घोषणा.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
23. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2022). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: वैश्विक रिपोर्ट.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
24. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वैश्विक डेटाबेस.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
25. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2024). *सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति: लैंगिक परिदृश्य रिपोर्ट 2024*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
26. वर्मा, के. (2022). *भारत में महिला सुरक्षा कानूनों का विश्लेषण.* लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी।
27. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: वैश्विक अनुमान एवं प्रवृत्तियाँ.* जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।